

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 5370
गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तकनीकी गड़बड़ियों के कारण

5370. श्री अरुण भारती:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में विमान कंपनियों द्वारा रिपोर्ट की गई तकनीकी गड़बड़ियों की संख्या में कमी आई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) इन तकनीकी गड़बड़ियों के लिए पहचान किए गए प्राथमिक कारणों का व्यौरा क्या है तथा उक्त कारणों को दूर करने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं; और
- (ग) विमान कंपनियों द्वारा सुरक्षा मानकों की निगरानी करने और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान देशभर में एयरलाइनों द्वारा रिपोर्ट की गई तकनीकी गड़बड़ियों में कमी आई है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ख) : विमान में तकनीकी गड़बड़ियाँ विमान में लगे घटकों/उपकरणों की खराबी के कारण हो सकती हैं और सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई परिवहन सेवा जारी रखने हेतु एयरलाइनों द्वारा इन पर सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। एएमएम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खराबी को ठीक किया जाता है और इसमें उपकरणों को बदलना, परीक्षण, सर्विसिंग आदि शामिल हो सकते हैं। संतोषजनक सुधार के पश्चात, विमान को सर्विस के लिए छोड़ दिया जाता है और इसकी प्रविष्टि उड़ान रिपोर्ट बुक में की जाती है।

(ग) : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) के अंतर्गत विनियम निर्धारित किए हैं, जिसके अनुसार विमान का अनुरक्षण निर्माता और डीजीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा विमान को उड़ान के लिए तैयार करने से पूर्व विमान में रिपोर्ट की गई सभी तकनीकी समस्याओं का निवारण किया जाना चाहिए।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास एयरलाइनों/संगठनों और कार्मिकों की निगरानी, औचक जांच, रात्रि निगरानी, आदि के लिए निर्धारित तंत्र विद्यमान है, ताकि यात्रियों और विमानों

की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एयरलाइनों को अवलोकन/निष्कर्ष उपलब्ध कराए जा सकें।

कमी को ठीक करने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाती है ताकि सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उल्लंघन के मामले में, डीजीसीए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है जिसमें चेतावनी, निलंबन, रद्दीकरण सहित संबंधित कर्मियों/एयरलाइन पर वित्तीय जुर्माना लगाना शामिल हो सकता है।

अनुलग्नक

(वर्ष-वार) 2022-2024 हेतु एयरलाइनों द्वारा परिचालित उड़ानों की संख्या की तुलना में
तकनीकी गड़बड़ियों/घटनाओं की संख्या

क्र. सं.	एयरलाइन	2022		2023		2024	
		तकनीकी गड़बड़ियों की संख्या	कुल उड़ान संख्या	तकनीकी गड़बड़ियों की संख्या	कुल उड़ान संख्या	तकनीकी गड़बड़ियों की संख्या	कुल उड़ान संख्या
1.	मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो)	472	548,421	115	678,313	130	718,493
2.	मेसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड	143	101,749	150	71,131	34	51,844
3.	मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेड	64	121,870	62	146,579	94	269038
4.	मेसर्स विस्तारा	03	86,844	14	102,938	-- (एआई के साथ विलय)	--
5.	मेसर्स एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	23	29,699	23	36,248	47	135063
6.	मेसर्स एयर एशिया लिमिटेड	08	54,347	16	69,962	--- (एआईएक्सएल के साथ विलय)	----
7.	मेसर्स अकासा एयर	01	5,484	-	39,773	07	81,914
8.	मेसर्स एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एलाइंस एअर)	03	37,301	06	38,670	11	29,160
कुल गड़बड़ियाँ/ कुल उड़ान		717	985715	386	1183614	323	1285512
